

**Chhattisgarh State Council of
Educational Research & Training
Shankar Nagar, Raipur**



**राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़,
शंकर नगर, रायपुर**

Telephone-0771-2443596, 2443496 Website: www.scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

पत्र क्रं/शिक्षक शिक्षा/30-1/आनलाइन आबंटन/2026-27 / 3406

रायपुर दिनांक 27-10-2026

**बी. एड./डी.एल.एड. पाठ्यक्रम 2026-27 शेष रिक्त सीटों में प्रवेश
के लिए तृतीय (अंतिम) चरण के प्रवेश की सूचना**

छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय/निजी शिक्षा महाविद्यालयों/संस्थाओं में संचालित बी.एड./डी.एल.एड. पाठ्यक्रम सत्र 2026-27 में प्रवेश प्रक्रिया परिषद् द्वारा प्री बी.एड./प्री डी.एल.एड. के प्राप्तांक के आधार पर दो चरण में किया गया है। दूसरे चरण के पश्चात राज्य के विभिन्न शिक्षा महाविद्यालयों/संस्थाओं में रिक्त सीटों के विरुद्ध तृतीय (अंतिम) चरण की प्रवेश प्रक्रिया निम्नानुसार जारी किया जाना है:-

क्र.	विवरण	बी. एड./डी.एल.एड. पाठ्यक्रम के लिए दिनांक से दिनांक तक
1	पंजीयन एवं ऑनलाइन विकल्प फार्म जमा करने की तिथि।	05.11.2026 से 10.11.2026 तक
2	प्रथम सूची जारी करना एवं प्रवेश की तिथि।	12.11.2026 से 13.11.2026 तक
3	द्वितीय सूची जारी करना एवं प्रवेश की तिथि।	16.11.2026 से 17.11.2026 तक
4	तृतीय सूची जारी करना एवं प्रवेश की तिथि।	19.11.2026 से 20.11.2026 तक
5	रिक्त सीटों के अनुसार तृतीय एवं चतुर्थ सूची के लिए तृतीय चरण में पंजीकृत शेष पात्र छात्रों द्वारा विकल्प सुधार की प्रक्रिया की तिथि।	22.11.2026 से 23.11.2026 तक
6	चतुर्थ सूची जारी करना एवं प्रवेश की तिथि।	25.11.2026 से 26.11.2026 तक
7	पाँचवी सूची जारी करना प्रवेश की तिथि।	30.11.2026 से 01.12.2026 तक
8	छठवी सूची जारी करना एवं प्रवेश की तिथि।	03.12.2026 से 04.12.2026 तक

1. प्रतिभागियों की पात्रता (Eligibility):

काउंसलिंग के तृतीय चरण(अंतिम चरण) में नए अभ्यर्थियों के साथ-साथ वे अभ्यर्थी भी भाग ले सकेंगे, जिन्होंने पूर्व में पंजीकरण कराया है, परंतु अभी तक किसी भी संस्थान में प्रवेश नहीं लिया है या प्रवेश निरस्त करवा लिया है या किसी कारण से प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं। पूर्व में प्रवेश प्राप्त कर चुके अभ्यर्थी इस चरण में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

2. पंजीकरण शुल्क (Registration Fee):

पूर्व में पंजीकृत अभ्यर्थियों से पुनः पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। वहीं, नए पंजीकरण कराने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना होगा।

3. अनिवार्य सहमति (Mandatory Consent):

तृतीय चरण में भाग लेने के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को सहमति (Consent) देना अनिवार्य होगा। सहमति देने के बाद यदि अभ्यर्थी को सीट आवंटित होती है, तो उसे संबंधित संस्थान में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लेने की स्थिति में अभ्यर्थी को आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को अपनी पसंद (Choices) सावधानीपूर्वक भरनी चाहिए क्योंकि यदि वे आबंटन पश्चात प्रवेश नहीं लेते हैं तो आगामी किसी भी सूची में उसका नाम नहीं आयेगा।

4. सीट आवंटन सूचियां (Allotment Lists):

पंजीकरण एवं विकल्प भरने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तीन आवंटन सूचियां जारी की जाएंगी। अगली आवंटन सूची में उन अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जायेगा, जिन्हें तृतीय चरण के किसी भी सूची में पहले ही सीट आवंटित की जा चुकी है।

5. विकल्प में संशोधन एवं अतिरिक्त आवंटन सूचियां (Choice Shuffling):

प्रथम तीन आवंटन सूचियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद महाविद्यालयों में रिक्त सीटों के आधार पर विकल्प संशोधन कर सकेंगे। जिन पंजीकृत अभ्यर्थियों को इस चरण में अभी तक कोई सीट आवंटित नहीं हुई है, वे सहमति प्रदान करके अपनी पूर्व में भरी गई पसंद (Choices) में चाहे तो संशोधन या फेरबदल कर सकेंगे। तीसरे चरण के प्रथम तीन सूची में जिन अभ्यर्थियों को सीट्स आवंटित हुये थे उनके लिए यह सुविधा नहीं होगी। न ही कोई नया पंजीयन इस प्रक्रिया में किया जायेगा। जिन अभ्यर्थियों को सीट आवंटित नहीं हुई है और जिन्होंने विकल्प में संशोधन के लिए सहमति नहीं दी है, उनकी तृतीय (अंतिम) चरण के पंजीयन के समय चुने गए विकल्पों को ही मान्य माना जाएगा। इसके बाद चौथी, पाँचवी एवं छठवी आवंटन सूचियां जारी की जाएंगी।

6. महाविद्यालय विकल्प चयन हेतु महत्वपूर्ण निर्देश (Important Instructions Regarding College Choice Filling and Admission) :

इस चरण में एक बार सीट आवंटन के बाद प्रवेश नहीं लेने पर अभ्यर्थी प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे, इस कारण विकल्प, कम संस्थाओं का सोच समझकर दें। अभ्यर्थी अनावश्यक अत्यधिक महाविद्यालयों का विकल्प न दें, उन्ही महाविद्यालय/संस्था का विकल्प दें जहाँ वे वास्तविक में प्रवेश लेना चाहते हैं। क्योंकि अत्यधिक संस्थाओं का विकल्प देने से अभ्यर्थियों को महाविद्यालयों में सीट्स आवंटित हो जाती है परन्तु वे प्रवेश नहीं लेते और प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। इससे उनका स्वयं का एवं दूसरे छात्रों की भी हानि होती है। इस चरण में विकल्प बदलने की सुविधा तृतीय सूची के पश्चात दी गई है।

7. प्रवेश की अवधि कम है इस कारण अभ्यर्थी सभी आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखें। आवंटन सीटें रिक्त रहने तक की जावेगी।

शेष नियम व दिशा निर्देश पूर्ववत ही रहेंगे।

Digitally signed by
RITURAJ RAGHUVANSHI
Digitally signed by RITURAJ RAGHUVANSHI IAS
17:05:33 17/10/2026

एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग

पृ. पत्र क्रं/शिक्षक शिक्षा/30-1/आनलाइन आवंटन/2026-27 | 34 07
प्रतिलिपि -

रायपुर, दिनांक 27-10-2026

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर को सूचनार्थ।
2. कुलसचिव, ----- विश्वविद्यालय ----- को सूचनार्थ
3. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर को सूचनार्थ।
4. सर्व सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

संचालक
एस.सी.ई.आर.टी., छ.ग.